न्यायालय अति.जिला कलेक्टर,टोंक

(शिवचरण मीणा,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्याः– 26 / 2022

प्रविष्टि दिनांकः– 21–11–2022

शीबा परवीन पत्नि श्री सईद मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी गड्डा पहाडिया मुबारक मस्जिद के पीछे, टोंक राज.

.... अपीलाण्ट

बनाम

उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, टोंक

.... रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, टोंक निर्णय दिनांक 21.06.2022 प्रकरण सं.19 / 2022

उपस्थितः (1)शीबा परवीन, अपीलान्ट
(2)उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, टोंक

निर्णय

दिनांक 01.03.2023

संक्षेप में अपील का सार इस प्रकार हैं कि बाल विकास परियोजना अधिकारी, टोंक द्वारा आंगनबाडी केन्द्र सं. 52 कस्बा टोंक पर मानदेय कार्यकर्ता के पद पर शाहिस्ता परवीन के चयन को गलत बताते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रथम अपील उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, टोंक के यहां प्रस्तुत की गई। उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 21.06.2022 से अपील खारिज की। अपीलांट द्वारा उक्त आदेश से व्यथीत होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, टोंक ने जवाब पेश किया कि उक्त पद हेतु कुल सोलह आवेदन प्राप्त हुये। प्राप्त आवेदन में से तीन आवेदन निर्धारित योग्यता नहीं होने अल्पसंख्यक वर्ग के नहीं होने, आयु अधिक होने एवं वार्ड की स्थानीय निवासी नहीं होने के कारण वरीयता सूची में शामिल नहीं किये गये, शेष 13 आवेदनों की विभागीय परिपत्रानुसार वरीयता सूची तैयार की गई, जिसमें अभ्यार्थियों द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों के अनुसार मूल्यांकन प्रपत्र में विभागीय नियमानुसार अंक निर्धारित किये गये जिसके अनुसार श्रीमती शाहिस्ता परवीन पत्नि श्री मुजीब खान के 12 अंक प्राप्त हुये

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
टोंक

एवं वरीयता सूची में प्रथम स्थान पर रही। श्रीमती शाहिस्ता परवीन के पति श्री मुजीब खान का नाम नगरपरिषद की निर्वाचक नामावली 2019 में वार्ड नं. 40 के भाग संख्या 2 के कम [redacted] 957 पर दर्ज है एवं श्रीमती शाहिस्ता परवीन पत्नि श्री मुजीब खान का नाम आंगनबाडी केंद्र संख्या 20 वार्ड नं. नया 40 के सर्वे रजिस्टर के परिवार संख्या 124 पर दर्ज है, जो इनके स्थानीयता की पुष्टि करता है। उक्त वरीयता सूची को दिनांक 09.02.2022 कों अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसके उपरान्त चयन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया जो नियमानुसार सही है।

प्रकरण मे अपीलांट एंव उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, टोंक की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या 52 पर शाईस्ता परवीन का जो चयन हुआ है, वह नियमों के विपरित जाकर हुआ है क्योंकि शाहिस्ता परवीन के पति मुजीब खान का नाम पुराना वार्ड नं. 12 व नया वार्ड नं 40 की टोक नगर परिषद् की वोटर लिस्ट में नाम मौजूद है, परन्तु शाहिस्ता परवीन का स्वयं का नाम पुराना वार्ड नं. 12 नया वार्ड नं. 40 टोंक नगर परिषद की वोटर लिस्ट में मौजूद नहीं है। इस सम्बन्ध मे पहली अपील दिनांक 30.05.2022 को उप निदेशक, महिला बाल विकास महोदय टोंक के समक्ष प्रस्तुत करने पर उप निदेशक महिला बाल विकास महोदय टोंक ने मुझे अपने कार्यालय में [redacted] 20.06.2022 को बुलाकर बताया गया कि वार्ड नं. 40 के पार्षद के लेटरहेड पर लिखा हुआ है कि "शाईस्ता परवीन वार्ड नं 40 मे निवास कर रही है, उक्त लेटरहेड पर अंकित इबारत के आधार पर उसका चयन किया गया है। विभाग द्वारा जारी आवेदन मे फार्म के पृष्ठ सं. 4 पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि जिस आगनबाड़ी केन्द्र के लिये आवेदन किया जा रहा है,उसके लिये "पात्र वार्डो की आवेदनकर्ता चिन्हित वार्डो के निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। इसके लिये आवेदनकर्ताओं को संबंधित वार्डो के वार्ड पार्षद द्वारा लिखित प्रमाण पत्र अथवा मतदाता सूची जिसमे आवेदनकर्ता का नाम हो, की स्वयं प्रमाणित प्रति सम्मिलित करनी होगी।" मैने जब निवेदन किया कि शाहिस्ता परवीन का नाम वार्ड नं. 40 की टोंक नगर परिषद की वोटर लिस्ट में नाम ही मौजूद नहीं है तो फिर लेटर हेड किस आधार पर मान्य हो सकता है जबकि शाहिस्ता परवीन की मतदाता पहचान पत्र पुराना वार्ड नं. 11 जो कि 2004 मे था, उक्त वोटर आई.डी. आवेदन फार्म मे लगायी है तो फिर इसका चयन किस आधार पर किया जा रहा है। आवेदनकर्ता जुबी खानम पत्नि सईदुद्दीन का आवेदन यह कहकर निरस्त कर दिया गया कि जुबी खानम अन्य वार्ड की है, जबकि वार्ड नं. 40 के पार्षद के लेटर हेड [redacted] लिखा है कि जुबी खानम पत्नि सईदुद्दीन वार्ड नं. 40 में रहती है तो फिर क्यों जुबी खानम का आवेदन फार्म निरस्त किया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर उक्त समस्त मामले की गहनता से जांच करवायी जाकर बाल विकास परियोजना अधिकारी, टोंक को आदेशित किया जावे कि एवं शाईस्ता परवीन द्वारा लगाये गये दस्तावेजातों की निष्पक्ष जांच करके आंगनबाडी केन्द्र सं. 52 के कार्यकर्ता चयन पद पर शाईस्ता परवीन की नियुक्ति रोकी जाकर उसके द्वारा गलत रूप से लगाये गये दस्तावेजों के कारण उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही की जाये।

उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, टोंक ने जवाब को ही बहस माने जाने का निवेदन किया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
टोंक

हमने अपीलांट एंव उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, टोंक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता हैं कि बाल विकास परियोजना अधिकारी टोंक शहर द्वारा जवाब मे अंकित किया है कि उक्त पद हेतु कुल सोलह आवेदन प्राप्त हुये। प्राप्त आवेदन में से तीन आवेदन निर्धारित योग्यता नहीं होने, अल्पसंख्यक वर्ग के नहीं होने, आयु अधिक होने एवं वार्ड की स्थानीय निवासी नहीं होने के कारण वरीयता सूची में शामिल नहीं किये गये तथा शेष 13 आवेदनों की विभागीय परिपत्रानुसार वरीयता सूची तैयार की गई, जिसमें अभ्यार्थियों द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों के अनुसार मूल्यांकन प्रपत्र में विभागीय नियमानुसार अंक निर्धारित किये गये जिसके अनुसार श्रीमती शाहिस्ता परवीन पत्नि श्री मुजीब खान के 12 अंक प्राप्त हुये एवं वरीयता सूची में प्रथम स्थान पर रही। श्रीमती शाहिस्ता परवीन के पति श्री मुजीब खान का नाम नगरपरिषद की निर्वाचक नामावली 2019 में वार्ड नं. 40 के भाग संख्या 2 के कम संख्या 957 पर दर्ज है एवं श्रीमती शाहिस्ता परवीन पत्नि श्री मुजीब खान का नाम आंगनबाडी केंद्र संख्या 20 वार्ड नं. नया 40 के सर्वे रजिस्टर के परिवार संख्या 124 पर दर्ज है, जो इनके स्थानीयता की पुष्टि करता है। आंगनबाडी केन्द्र सं. 52 कस्बा टोंक पर मानदेय कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से यह अंकित हैं कि जिस आंगनबाडी केन्द्र के लिए आवेदन किया जा रहा है उसके लिए पात्र वार्डो की आवेदनकर्ता चिन्हित वार्डो के निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए आवदेनकर्ता को संबंधित वार्ड के वार्ड पार्षद द्वारा लिखित प्रमाण पत्र अथवा मतदाता सूची जिसमें आवेदनकर्ता का नाम हों, की स्वयं प्रमाणित प्रति सम्मिलित करनी होगी। श्रीमति शाहिस्ता परवीन के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ जो राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान की नगरपालिका चुनाव निर्वाचक नामावली, 2019 विधानसभा क्षेत्र की संख्या 96 भाग 2 की प्रति प्रस्तुत की हैं,उसमें शाहिस्ता परवीन का नाम दर्ज नहीं होकर उनके पति मुजीब खां का नाम कमांक 957 पर दर्ज है एवं रूखसाना पार्षद वार्ड नं. 40 नगरपरिषद् टोंक ने जो प्रमाण पत्र दिया है, उसमें वार्ड नं. 40 की स्थानीय निवासी होना बताया हैं,परन्तु निर्वाचक नामावली से यह प्रमाणित नहीं होता हैं। ऐसी स्थिति मे उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, टोंक द्वारा पारित निर्णय दिंनाक 21.06.2022 मे हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, टोंक द्वारा पारित निर्णय दिंनाक 21.06.2022 को निरस्त कर प्रकरण इन निर्देशो के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि सम्पूर्ण रिकॉर्ड/दस्तावेजात की जांच कर एवं पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 01.03.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिव चरण मीणा)
अति.जिला कलेक्टर,टोक